राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग

क्रमांकः— सूजस/क्षे.प्र./5976-115 जयपुर, दिनांकः 28.08.2015

परिपत्र

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अन्तर्गत राज्य के सभी जिलों में जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय तथा सूचना केन्द्र संचालित किए जा रहे है जिनका प्रमुख दायित्व उस जिले में संपादित किए जा रहे प्रमुख राजकीय कार्यों/गतिविधियों एवं घटनाओं के संबंध में उपयुक्त स्तर पर प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से प्रचार–प्रसार कराया जाना है।

राज्य सरकार के द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न योजनाओं जिनका संबंध आम जनता से तथा विशिष्ट वर्गों यथा उद्यमियों, किसानों,महिलाओं,युवाओं एवं अन्य विशिष्ट वर्गों से होता है, की जानकारी उन तक पहुंचाने का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग एक अहम माध्यम है। विभागीय स्तर पर यह अनुभव किया गया है कि जिला स्तर पर सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के कार्यालयों द्वारा अपेक्षित एवं त्वरित कार्यवाही नहीं की जा रही है। **इसको शासन स्तर पर गम्भीरता से लिया गया है।**

इसी क्रम में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के अधिकारियों द्वारा संपादित किए जा रहे कार्यों की भी नियमित रूप से समीक्षा किए जाने एवं उनको और अधिक सक्रिय किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जिले में स्थापित जिला सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय के अधिकारियों एवं विभाग के प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित अधिकारियों के द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले कार्यों की समीक्षा किए जाने का निर्णय शासन स्तर पर लिया गया है।

प्रत्येक अधिकारी उसके द्वारा किए गए दैनिक कार्यों की सूचना अगले कार्य दिवस प्रातः 11.00 बजे से पूर्व संलग्न प्रपत्र में **ई–मेल (fp.dipr@gmail.com)** के माध्यम से निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को उपलब्ध करायेंगे। निदेशालय, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग के स्तर पर प्रत्येक जिले एवं अन्य विभागों में पदस्थापित अधिकारियों के द्वारा संपादित किए गए दैनिक कार्यों की समीक्षा की जाकर रिपोर्ट शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग को प्रतिदिन 3.00 बजे तक भिजवाई जायेगी। प्रत्येक अधिकारी के वार्षिक कार्य मूल्यांकन का आधार यह समीक्षा रिपोर्ट होगी।

उक्त निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से की जावे ।

संलग्नः— उपरोक्तानुसार प्रपत्र

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. शासन सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
2. अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)/अतिरिक्त निदेशक, सूजस
3. समस्त शाखाधिकारी, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
4. प्रभारी अधिकारी सूचना केन्द्र, दिल्ली/मुम्बई/कोलकाता
5. उपनिदेशक/सहायक निदेशक/समस्त जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी/अन्य विभागों में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित विभागीय अधिकारी
6. रक्षित पत्रावली

28/8/2015
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)